**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>01.01.2026</u>**

**<u>ईडी अहमदाबाद ने "आम निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करके शेयर बाजार में निवेश करने के मामले में" भारी मात्रा में सामग्री जब्त की।</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने हिमांशु उर्फ पिंटू भावसार और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आय के रूप में 110 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां (मूल्य 2.4 करोड़ रुपये), लगभग 1.296 किलोग्राम सोने की सिल्लियां (मूल्य 1.7 करोड़ रुपये), लगभग 39.7 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 38.8 लाख रुपये के बराबर भारतीय मुद्रा, कम से कम 10.6 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और विभिन्न संपत्ति दस्तावेज बरामद और जब्त किए हैं।

मेहसाना जिले के खेरालू पुलिस स्टेशन में हिमांशु उर्फ पिंटू भावसार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता को भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और बाद में उसका पैसा वापस न करके उससे धोखाधड़ी की। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पैसे को किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं किया और उसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। बाद में, जांच के दौरान पता चला कि भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा कम से कम 6 और एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें कुल धोखाधड़ी की राशि 10.87 करोड़ रुपये थी।

यह खुलासा हुआ कि मुख्य साजिशकर्ता हिमांशु उर्फ पिंटू भावसार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मेहसाना, विसनगर और वड़नगर में कई कार्यालय खोले थे, जिनका उद्देश्य आम जनता को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लुभाना और उनसे धन प्राप्त करना था। उन्होंने संभावित निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से फोन करने के लिए कई कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान यह बात सामने आई कि हिमांशु भरतकुमार भावसार ने विश्वास स्टॉक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, दलाल स्टॉक्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और देवकी स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड की गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के लिए एसईबीआई द्वारा जारी निवेश सलाहकार प्रमाणपत्र का उपयोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता में (व्यक्तिगत रूप से) किया था। उक्त तीनों संस्थाओं के पास निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए एसईबीआई से पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। एसईबीआई ने अपने आदेश में विश्वास स्टॉक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, दलाल स्टॉक्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और देवकी स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा इनके निदेशकों हिमांशु भरतकुमार भावसार उर्फ पिंटू भावसार और अन्य को निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के दौरान किए गए उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

